कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर संभाग रायपुर (छ.ग.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विभागीय जानकारी
(दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में)

बिन्दु क्रमांक 01

01. **कार्य एवं कर्तव्य** :– सहकारिता को लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करने एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिये मान्यता दी गई हैं। आधुनिक परिवेश में परिवर्तन और विकास के दौर में सहकारी संस्थाएँ विश्वसनीय माध्यम बनी हैं। सहकारी विधान को नया रूप प्रदान किया गया है ताकि सहकारिता नया आर्थिक सामाजिक संदर्भो में अपनी भूमिका अधिक जवाबदारी एवं क्षमता से निभा सके। सहकारिता विभाग इस परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में होगी ताकि सहकारिताओं और उनसे जुड़े किसान, मजदूर, बुनकर, मछुवारे, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गो एवं विशेषतः महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान दिया जा सके।

पर्यवेक्षक एवं नियामक के रूप में विभाग का उत्तरदायित्व सहकारी संस्थाओं के संगठन, पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण, निरीक्षण कर उनकी आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण का हैं। संभाग में 2668 (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में) सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन, कृषि ऋण, खाद, उन्नत बीज एवं कृषि आदान सामाग्री वितरण का कार्य, सहकारी साख, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवास, मत्स्य, डेयरी, वनोपज, बुनकर, खनिज, एवं औद्योगिक गतिविधियों का संचालन होता है।

(01) **संस्थाओं का पंजीयन एवं नियंत्रण** :– संयुक्त पंजीयक कार्यालय में संभाग स्तर की सहकारी संस्थाओं का पंजीयन छ0ग0 सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9 में दिये प्रावधान के अन्तर्गत किया जाता हैं। दस या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में सहकारी संस्थाओं के पंजीयन बाबत् आवेदन किये जाने पर आवेदन पत्र का सुक्ष्म परीक्षण कर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर पंजीयन किया जाता है। संस्था का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर अपने सदस्यों के आर्थिक विकास के साथ सर्वांगींण विकास होना आवश्यक है।

(02) **अधिनियम एवं नियम** :– सहकारी सोसायटियों के परिवेक्षण एवं परिसंचालन हेतु निम्नानुसार अधिनियम एवं नियम प्रभावशील है :–

01. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम – 1960.
02. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम – 1962.

02. **निर्वाचन** :– पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन छ0ग0 सोसायटी अधिनियम 1960, सहकारी सोसायटी नियम 1962, संस्था का उपनियम के प्रावधानों के अनुरूप छ.ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा रहा है।

03. **अंकेक्षण से संबंधित कार्य** :–

1. संभाग स्तरीय सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु संस्था के प्रस्ताव अनुसार विभागीय/पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ.ग. अटल नगर रायपुर द्वारा तैयार पैनल के माध्यम से अंकेक्षण कार्य संपादित कराना, अंकेक्षण टीप प्राप्त करना एवं अंकेक्षण शुल्क वसूली, अंकेक्षण आपत्तियों के पालन प्रतिवेदन पर कार्यवाही करना है।

लोक सूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

2. सहकारी संस्थाओं का समय पर अंकेक्षण करने/करवाने हेतु निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अंकेक्षकों पर नियंत्रण हेतु संस्थाओं का समय–समय पर भेंट दिया जाता है।
3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियम तथा पंजीयक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/दिशा–निर्देशो के अनुरूप अंकेक्षण कार्य संपन्न कराया जाता है।

04. <u>**विधि (सहकारिता न्यायालय)**</u> :– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत संयुक्त पंजीयक, पंजीयक सहकारी संस्थाएं का सहायक अधिकारी होता है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार मूल वाद/अपील प्रकरण तथा पंजीयक द्वारा अंतरित वाद/अपील प्रकरणों पर सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अन्तर्गत सुनवाई किया जाता हैं।

05. <u>**विपणन**</u> :–

1. विपणन कक्ष द्वारा प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं, छ0ग0 राज्य विपणन संघ के संभाग में स्थित जिला ईकाईयों द्वारा किये जाने वाले कार्यो के संबंध में पंजीकृत उपविधि के प्रावधान के अनुसार संस्था के कार्यों एवं दायित्वों के सफल संचालन हेतु सहकारी अधिनियम/नियम/शासकीय आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित किया जाता है ।
2. छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ, सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, बीज आदि की आपूर्ति के लिये एजेंसी के रूप में कार्य करती है। विपणन संघ उर्वरक कम्पनियों से खाद, बीज आपूर्ति कर्ताओं से प्राप्त कर सहकारिता के क्षेत्र में खाद बीज की मांग की पूर्ति प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु विपणन संघ द्वारा डबल लॉक केन्द्रों पर उर्वरक एवं बीज का भण्डारण किया जाता है, जिसे कृषकों के मांग पर प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाता है.
3. कृषकों की मांग पर खाद/बीज की पूर्ति समय–समय पर की जाती है।
4. इसके साथ ही विपणन संघ राज्य शासन के निर्देशानुसार अभिकर्ता के रूप में प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन करता है।
5. प्राथमिक विपणन समितियाँ भी अपने सदस्यों एवं कृषकों को उपविधि के प्रावधानों के अनुरूप खाद, बीज एवं कृषि यंत्र की आपूर्ति का कार्य करती है ।
6. प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से सस्ती एवं उचित दरों पर जन सामान्य को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराती है।

06. <u>**साख**</u> :–

1. संभागान्तर्गत जिलों में कृषि साख एवं गैर कृषि साख सहकारी संस्थाएं पंजीकृत एवं कार्यरत् हैं। कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि ऋण एवं रासायनिक खाद तथा उन्नत बीज आदि सामाग्री शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण भी उपलबध कराया जाता है तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों का संचालन तथा कृषकों द्वारा उपार्जित धान का समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य किया जाता है, जिसका पर्यवेक्षण/निरीक्षण/ अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, स्टॉफिंग पैटर्न, वेतन निर्धारण आदि के संबंध में सहकारिता अधिनियम एवं संस्थाओं की उप विधि के अनुसार पंजीयक द्वारा जारी सेवानियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही किया जाता है।

कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं
संभाग रायपुर (छ.ग.)

क्रमशः 3

2. जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक, नागरिक सहकारी बैंक, विपणन समितियों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा प्रेषित सेवा नियम के संबंध में प्रस्ताव का परीक्षण कर कार्यवाही हेतु पंजीयक महोदय को प्रेषित किया जाता है ।

07. **बजट** :–

1. कार्यालय हेतु बजट प्रस्ताव तैयार कर पंजीयक महोदय को प्रेषित करना।
2. आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान हेतु अनुपूरक प्रस्ताव नवीन मद हेतु तैयार कर मुख्यालय को प्रस्तुत करना।

08. **योजना** :–

1. विभिन्न सहकारी संस्थाओं को प्रदत्त अंशपूंजी ऋण एवं ब्याज की वसूली हेतु जिला अधिकारियों को निर्देशित करना।
2. राज्य शासन द्वारा प्रदत्त विभिन्न सहकारी संस्थाओं को सहायता के रूप में ऋण अंशपूंजी में धनवेष्ठन बैंकों में विभिन्न प्रकार के योजनाओं का कृषकों को ऋण देने की सुविधाओं/विपणन समितियों में अंशपूंजी, अनुदान प्राथमिक सहकारी समितियों की कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान एवं उपभोग ऋणों के संबंध में कृषकों को सुविधा मुहैया कराने हेतु कार्यवाही किया जाना।
3. आदिवासी उपयोजनान्तर्गत आनेवाली समितियों को प्रबंधकीय अनुदान, ब्याज अनुदान, अशपूंजी अनुदान इत्यादि। विशेष घटक योजनान्तर्गत सहकारी संस्थाओं से ब्याज अनुदान अंशपूंजी अनुदान का जिलों के उप/सहायक पंजीयक के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर मुख्यालय को प्रेषित करना।

09. **विविध** :– विविध अन्तर्गत, वनोपज, मत्स्य, सेरीकल्चर, औद्योगिक, हाथकरघा बुनकर, गृह निर्माण, जिला सहकारी संघ, उपभोक्ता संघ आदि संभाग स्तरीय सहकारी संस्थाओं के कार्यो की देखरेख एवं उनसे संबंधित आवश्यक संशोधन तथा संस्थाओं से संबंधित शिकायतों का निराकरण करना।

10. **स्थापना** :–

1. संयुक्त पंजीयक कार्यालय में संयुक्त पंजीयक (प्रथम श्रेणी), सहायक पंजीयक एवं अंकेक्षण अधिकारी (द्वितीय श्रेणी), वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक (कार्यपालिक तृतीय श्रेणी) एवं लिपिक वर्गीय (तृतीय श्रेणी) कर्मचारी तथा भृत्य, वाहन चालक आदि (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी कार्यरत है। (तत्संबंधी जानकारी संलग्न–परिशिष्ट–'अ' है)
2. सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं एवं विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मांग से संबंधित आवेदन कार्यवाही हेतु पंजीयक महोदय को प्रेषित करना।

11. **लेखा एवं देयक** :–

1. संयुक्त पंजीयक कार्यालय को विभाग द्वारा आबंटित बजट अनुसार आहरण एवं संवितरण कार्य किया जाता है।
2. लेखा देयक कक्ष द्वारा अधिकारियों के एवं कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 एवं जी.आई.एस.के खातों का संधारण करना एवं प्रतिमाह मासिक आय व्यय पत्रक बजट कक्ष को उपलब्ध कराना।
3. जिले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि की जानकारी प्रत्येक वर्ष महालेखाकार को प्रेषित करना। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जी.आई.एस. प्रकरण के स्वीकृति उपरान्त आहरण कार्यालय से किया जाना।

लोक सूचना अधिकारी
एवं संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

4. वर्तमान में कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की वेतन संबंधी जानकारी **परिशिष्ठ –'द'** में संलग्न है।

विभाग के उत्तरदायित्व :– सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रशासनिक दृष्टि से विभाग का मुख्य दायित्व छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को सूचारू संचालन, गठन, निरीक्षण, अंकेक्षण एवं शासकीय नीतियों का कियान्वयन।

बिन्दु क्रमांक 02

01. **अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य** :– पंजीयक सहकारी संस्थाऍ, छ0ग0 रायपुर के अधिनस्थ समस्त संभाग एवं जिलों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का विभागीय सेटअॅप स्वीकृत हैं। सहकारिता विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी राज्य संवर्ग के है तथा चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जिला संवर्ग के है। **कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर संभाग रायपुर के लिए** स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है :–

क्रमांक	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद संख्या
1	2	3	4	5
1	संयुक्त पंजीयक	01	01	–
2	सहायक पंजीयक	01	01	–
3	अंकेक्षण अधिकारी	01	–	01
4	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	02	02	–
5	सहकारी निरीक्षक	04	03	01
6	अधीक्षक	01	01	–
7	सहायक ग्रेड–1	01	01	–
8	सहायक ग्रेड–2	02	02	–
9	सहायक ग्रेड–3	02	–	02
10	शीघ्र लेखक–3	01	01	–
11	स्टेनो टाईपिस्ट	01	–	01
12	डाटा एंट्री आपरेटर	01	–	01
13	भृत्य	03	02	01
14	वाहन चालक	01	–	01
15	फर्राश (कलेक्टर दर)	01	–	01
16	चौकीदार	01	–	01
	योग –	**24**	**14**	**10**

सहकारिता विभाग के अधिनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशासकीय नियंत्रण, अधिकारी पंजीयक, सहकारी संस्थाऍ, छत्तीसगढ़ है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रशासकीय विभाग/ पंजीयक, सहकारी संस्थाऍ/जिला अधिकारियों द्वारा छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965, छ0ग0 अवकाश नियम 1977 निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप शास्ति अधिरोपण :–

जनसूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

क्रमशः 5

1. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित प्रकरणों में – प्रशासकीय विभाग.
2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के (अराजपत्रित) प्रकरणों में – विभागाध्यक्ष.
3. चतुर्थ श्रेणी जिला संवर्ग के प्रकरणों में – जिला अधिकारी

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. के पत्र क्रमांक/स्था–1/2014/2962 दिनांक 12.06.2014 द्वारा संभागीय संयुक्त पंजीयक को प्रदत्त अधिकारियों की सीमा मे संभाग के अंतर्गत प्रकरणों मे कार्यवाही की जाती हैं।

02. छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 के अन्तर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, को प्राप्त अधिकार एवं प्राप्त शक्तियाँ :–

1. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 के अन्तर्गत पंजीयक को विभिन्न अधिकार प्रदत्त है। पंजीयक के अधिकार शासन द्वारा अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक को प्रत्यायोजित किये गये हैं।
2. सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं के कार्य की देख–रेख, आय व्यय का लेखा–जोखा का परीक्षण, अंकेक्षण, निरीक्षण, जांच आदि कार्य हेतु अंकेक्षण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक एवं उप अंकेक्षक के द्वारा पंजीयक के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक–03

निर्णय प्रक्रिया में उपयोग में लाये जाने वाले कार्य एवं इसमें नियंत्रण तथा जवाबदेही की व्यवस्था

1. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अन्तर्गत पंजीयक को अधिकार प्रदत्त है एवं पंजीयक के अधिकार शासन द्वारा अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक को प्रत्यायोजित किया गया है।
2. कार्यालय द्वारा छ0ग0 के अन्तर्गत निर्णय प्रकिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्य–प्रणाली छ0ग0 शासन द्वारा निर्मित नियमों के अधीन ही किया जाता हैं।
3. कार्यालय द्वारा शासकीय सेवायुक्तो के प्रकरणों में निर्णय छ0ग0 सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील), छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम, छ0ग0 अवकाश नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
4. कार्यालय द्वारा छ0ग0 वित्तीय अधिकार पुस्तिका में प्रदत्त अधिकार के अनुसार वित्तीय प्रकरणों/सामान्य भविष्य नियम तथा छ.ग. भण्डारण क्रय नियम का पालन करते हुये कार्यवाही निष्पादित की जाती है।
5. इस संभाग में संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं स्तर के संभागीय अधिकारी कार्यरत है।

बिन्दु क्रमांक–04

कार्य करने हेतु मापदण्ड :–

1. पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, छ0ग0 के अधिनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु जारी उत्तरदायित्व एवं कार्य निर्देशिका पूर्व में बिन्दु क्रमांक–2 के अनुक्रमांक–2 में उल्लेखित अनुरूप ही कार्य करने का निहित मापदण्ड है।
2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 संस्थाओं की उपविधियों एवं सेवा नियम के अन्तर्गत कार्य संचालन का मापदण्ड निहित है।

जनसूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

क्रमशः ...6...

बिन्दु क्रमांक–05

विभाग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले नियमों, आदेशों, अभिलेखों, अधिनियमों, संहिताओं का तुरन्त उपलब्ध कराने हेतु तैयार करना :–

1. पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, छ0ग0 सहकारी सोसायटी नियम 1962, सहकारी संस्थाओं में लागू पंजीकृत उपविधि एवं सेवा नियम, छ0ग0 शासन द्वारा जारी नियम/निर्देश तथा पंजीयक छ0ग0 रायपुर एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर संभाग रायपुर द्वारा अधिनस्थ कार्यालयों एवं सहकारी संस्थाओं के लिये जारी निर्देश कार्यालय में उपलब्ध है।
2. संभाग स्तरीय सहकारी समितियों के वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध हैं।

बिन्दु क्रमांक – 06

कार्यालय में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अभिलेखो की जानकारी :– संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर संभाग रायपुर में कार्य विभाजन एवं कार्य संपादन संबंधी दिशा–निर्देश अभिलेख का कक्षवार विभाजन निम्नानुसार है :–

1. पंजीयन/परिसमापन/अंकेक्षण कक्ष/निरीक्षण/निर्वाचन/लोक सेवा गारंटी
2. विपणन/धान खरीदी
3. समन्वय कक्ष/विविध/विधानसभा/मासिक बैंठक/विडियो कान्फ्रेंस
4. गृह निर्माण/वनोपज/मत्स्य
5. साख
6. स्थापना/लेखा/बजट/भंडार/आवक/जावक
7. योजना/सांख्यिकी
8. विधि/रीडर/सूचना का अधिकार/लोक आयोग
9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली/उपभोक्ता भंडार/दुग्ध/असाख
10. शिकायत (संबंधित कक्षवार)

बिन्दु क्रमांक–07

निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्व साधारण जनता से सलाह मशविरा कराने की कोई व्यवस्था हो तो उसका उल्लेख

इस विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई भी व्यवस्था नही है ।

बिन्दु क्रमांक–08

कांउॅन्सिलिंग, बोर्ड, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जिसमें दो से अधिक सदस्य हो उल्लेख :– सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी संस्थाएँ पंजीकृत हैं, जिनमें निर्वाचित संचालक मंडल के सदस्य कार्यरत होते हैं। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कांउॅन्सिलिंग बोर्ड, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जो दो या दो से अधिक सदस्यों से बनी है तथा आम जनता के लिये खुली हो, नही है ।

बिन्दु क्रमांक– 09

विभिन्न एजेंसियों को दिये गये बजट खर्च करने की प्रक्रिया व उस पर प्रतिवेदन करने की प्रक्रिया

उक्त प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से सम्पादित की जाती है।

जनसूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

बिन्दु क्रमांक– 10

अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं हितग्राहियो की सूची

.... निरंक ....

बिन्दु क्रमांक– 11

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियो की डायरेक्ट्री :–

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	श्रेणी	मोबाईल नंबर
1	2	3	4	5
1	श्री डी. पी. टावरी	संयुक्त पंजीयक	प्रथम श्रेणी	9479102999
2	मो. असलम खान	सहायक पंजीयक	द्वितीय श्रेणी	7869238624
3	श्री अजय कुमार ताम्रकार	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	9926142525
4	श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	8770124852
5	श्रीमती दिव्या वर्मा धुरंधर	सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	8435223439
6	श्रीमती आकांक्षा उईके	सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	8527734004
7	श्री हर्ष कुमार दुबे	सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	8602624492
8	श्री हरीश चंद्र	स्टेनोग्राफर (वर्ग–2)	तृतीय श्रेणी	9893505397
9	श्रीमती वीणा मारकण्डे	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	9131181031
10	श्रीमती परमेश्वरी सुधाकर	सहायक ग्रेड 01	तृतीय श्रेणी	9981166807
11	श्री कामता प्रसाद बघेल	सहायक ग्रेड 02	तृतीय श्रेणी	9926274435
12	श्री सत्येन्द्र देवांगन	सहायक ग्रेड 02	तृतीय श्रेणी	7000886731
13	श्री हेमलाल सोनझरी	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	9171385065
14	श्री प्रियांश कुमार ध्रुव	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	9575505304

बिन्दु क्रमांक– 12

ऐसे लोगों की सूची जिन्हे परमिट, लाईसेन्स, छूट या अनुमति दी गई हो तो :– सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का परमिट, लाईसेन्स छूट या अनुमति नहीं दी गई है।

बिन्दु क्रमांक– 13

उक्त सर्वसूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध कराना :– सहकारिता विभाग से संबंधित जन सूचना संबंधी समस्त जानकारियां विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध है।

बिन्दु कमांक – 14

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त की जानेवाली उपलब्धि :– विभाग अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त की जाने वाली कुल उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

जनसूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	पद श्रेणी	वर्तमान मूल वेतन	लेवल	कुल भुगतान राशि प्रतिमाह
1	2	3	4	5	6
1	श्री डी. पी. टावरी, संयुक्त पंजीयक	प्रथम श्रेणी	128000/—	14	132393/—
2	मो. असलम खान सहायक पंजीयक	द्वितीय श्रेणी	44880/—	12	62022/—
3	श्री अजय कुमार ताम्रकार वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	66600/—	9	80265/—
4	श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	48200/—	9	65765/—
5	श्रीमती दिव्या वर्मा धुरंधर सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	36400/—	7	45236/—
6	श्रीमती आकांक्षा उईके सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	36400/—	7	45236/—
7	श्री हर्ष कुमार दुबे सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	28700/—	7	35639/—
8	श्री हरीश चंद्र स्टेनोग्राफर (वर्ग – 2)	तृतीय श्रेणी	83700/—	11	91552/—
9	श्रीमती वीणा मारकण्डे अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	57500/—	9	66655/—
10	श्रीमती परमेश्वरी सुधाकर सहायक ग्रेड 01	तृतीय श्रेणी	38600/—	7	50505/—
11	श्री कामता प्रसाद बघेल सहायक ग्रेड 02	तृतीय श्रेणी	33100/—	7	41307/—
12	श्री सत्येन्द्र देवांगन सहायक ग्रेड 02	तृतीय श्रेणी	29400/—	6	38246/—
13	श्री हेमलाल सोनझरी भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	24300/—	1	30351/—
14	श्री प्रियांश कुमार ध्रुव भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	18100/—	1	22476/—

टीप :— सहायक पंजीयक के पद पर मो. असलम खान परिवीक्षा पर पदस्थ है, अतः उन्हें शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान/वेतन दिया जा रहा है।

बिन्दु क्रमांक— 15

जनता द्वारा सूचना मांगने के लिये उपलब्ध सुविधाओं यथा इन्टरनेट, वाचनालय या अन्य व्यवस्था जो जनता के लिये उपलब्ध हो का कथन :— विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में जनता द्वारा सूचना मांगने के लिये उपलब्ध सुविधाओं में सहकारिता विभाग की वेबसाईट उपलब्ध [https://coop.cg.gov.in] है। जनता द्वारा सूचना मांगे जाने पर उक्त सर्वसूचना की प्रतियॉ उपलब्ध करायी जा सकती है व जनता स्वयं विभाग की वेबसाईड में अवलोकन कर सकती है।

बिन्दु क्रमांक— 16

जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण :— कार्यालय में नियुक्त जन सूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :—

प्रथम अपीलीय अधिकारी — श्री डी. पी. टावरी, संयुक्त पंजीयक

जनसूचना अधिकारी — श्री मोहम्मद असलम खान, सहायक पंजीयक

सहायक जनसूचना अधिकारी — श्रीमती वीणा मारकण्डे, अधीक्षक

जनसूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

क्रमशः

बिन्दु क्रमांक– 17

सरकार द्वारा प्रावधानित की गई अन्य कोई सूचना :– राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग हेतु वर्तमान में किसी भी प्रकार की सूचना दिये जाने संबंधी पृथक से निर्देश प्रसारित नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

01. **कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर संभाग रायपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् :–**
जन सूचना अधिकारी – 01
अपीलीय अधिकारी – 01

02. **कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर संभाग रायपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू दिनांक से वर्तमान 31/12/2022 तक प्राप्त आवेदन पत्र, निराकरण, निराकरण हेतु शेष एवं प्राप्त राशि की जानकारी :–**

वर्ष	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	निराकरण हेतु शेष	प्राप्त राशि	जानकारी शुल्क
2012	12	12	–	120/–	–
2013	30	30	–	300/–	6/–
2014	15	15	–	150/–	266/–
2015	19	19	–	190/–	460/–
2016	18	18	–	180/–	266/–
2017	19	19	–	190/–	596/–
2018	27	27	–	270/–	460/–
2019	49	49	–	490/–	432/–
2020	13	13	–	130/–	844/–
2021	7	7	–	70/–	526/–
2022	23	23	–	200/–	246/–
योग :–	**232**	**232**	–	**2290/–**	**4092/–**

टीप :– दो आवेदन बी.पी.एल. वर्ग से तथा एक आवेदन जनसूचना अधिकारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर को अंतरित किया गया हैं।

जनसूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ठ –'अ'

संभाग में स्वीकृत पदों की संख्या सूची एवं वेतनमान :–

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम	वेतनमान	लेवल	पदों की संख्या	लेखा शीर्ष	रिमार्क
01	02	03	04		05	06	07
01.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर संभाग रायपुर	संयुक्त पंजीयक	15600–39100 + 7600	14	01	मांग संख्या 17(001) निर्देशन और प्रशासन (123 अधीक्षण) (आयोजनेत्तर)	–
		सहायक पंजीयक	15600–39100 + 5400	12	01	मांग संख्या 17(001)निर्देशन और प्रशासन (123 अधीक्षण) (आयोजनेत्तर)	–
		अंकेक्षण अधिकारी	9300–34800 + 4400	10	01	–	
		वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300–34800 + 4300	9	02	–	–
		सहकारी निरीक्षक	5200–20200 +2800	7	04	–	–
		अधीक्षक	9300–34800 + 4300	9	01	–	–
		स्टेनोग्राफर वर्ग – 3	9300–34800 + 4300	9	01	–	–
		स्टेनो टाइपिस्ट	5200–20200 + 1900	4	01	–	–
		सहायक ग्रेड–01	5200–20200 +2800	7	01	–	–
		सहायक ग्रेड–02	5200–20200 +2400	6	02	–	–
		सहायक ग्रेड–03	5200–20200 + 1900	4	02	–	–
		डाटा एंट्री आपरेटर	5200–20200 +1900	4	01		
		भृत्य	4440–7440 + 1300	1	03		
		वाहन चालक	5200–20200 + 1900	4	01	–	–
		फर्राश	–	–	01	–	–
		चौकीदार	–	–	01	–	–
		योग :–		–	24	–	

स्थापना/लेखा
कक्ष प्रभारी

जनसूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट –'ब'

कार्यालय में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संधारित नस्तियों/अभिलेखों का विवरण :–

01. सामान्य फाईल एवं नस्ती
02. विधानसभा फाईल एवं नस्ती
03. विपणन कक्ष फाईल एवं नस्ती
04. गृह निर्माण संबंधी फाईल एवं नस्ती
05. निर्वाचन फाईल एवं नस्ती
06. सांख्यिकी फाईल एवं नस्ती
07. शिकायत फाईल एवं नस्ती
08. साख फाईल एवं नस्ती
09. असाख फाईल एवं नस्ती
10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं नस्ती
11. स्थापना फाईल एवं नस्ती
12. लेखा कक्ष फाईल एवं नस्ती
13. क्षतिपूर्ति फाईल एवं नस्ती
14. योजना फाईल एवं नस्ती
15. पंजीयन फाईल एवं नस्ती
16. विधि फाईल एवं नस्ती
17. आवक जावक पंजी
18. अवार्ड फाईल (रजिस्टर)
19. अंकेक्षण कक्ष की फाईल (आडिट नोट)
20. आडिट आपत्तियों के निराकरण संबंधी फाईल
21. अंकेक्षण आबंटन एवं प्रगति नस्ती
22. अंकेक्षण शुल्क नस्ती
23. यात्रा देयक नस्ती

जनसूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट –'स'

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियो की डायरेक्ट्री :–

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	श्रेणी	मोबाईल नंबर
1	2	3	4	5
1	श्री डी. पी. टावरी	संयुक्त पंजीयक	प्रथम श्रेणी	9429102999
2	मो. असलम खान	सहायक पंजीयक	द्वितीय श्रेणी	7869238624
3	श्री अजय कुमार ताम्रकार	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	9926142525
4	श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	9425211067
5	श्रीमती दिव्या वर्मा धुरंधर	सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	8435223439
6	श्रीमती आकांक्षा उईके	सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	8527734004
7	श्री हर्ष कुमार दुबे	सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	8602624492
8	श्री हरीश चंद्र	स्टेनोग्राफर (वर्ग – 2)	तृतीय श्रेणी	9893505397
9	श्रीमती वीणा मारकण्डे	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	9131181031
10	श्रीमती परमेश्वरी सुधाकर	सहायक ग्रेड 01	तृतीय श्रेणी	9981166807
11	श्री कामता प्रसाद बघेल	सहायक ग्रेड 02	तृतीय श्रेणी	9926274435
12	श्री सत्येन्द्र देवांगन	सहायक ग्रेड 02	तृतीय श्रेणी	7000886731
13	श्री हेमलाल सोनझरी	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	9171385056
14	श्री प्रियांश कुमार ध्रुव	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	9575505304

स्थापना/लेखा
कक्ष प्रभारी

जनसूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ठ–'द'

अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त की जानेवाली उपलब्धि :–

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	पद श्रेणी	वर्तमान मूल वेतन	लेवल	कुल भुगतान राशि प्रतिमाह
1	2	3	4	5	6
1	श्री डी. पी. टावरी, संयुक्त पंजीयक	प्रथम श्रेणी	128000/–	14	132393/–
2	मो. असलम खान सहायक पंजीयक	द्वितीय श्रेणी	44880/–	12	62022/–
3	श्री अजय कुमार ताम्रकार व.स.नि.	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	66600/–	9	80265/–
4	श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव व.स.नि.	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	48200/–	9	65765/–
5	श्रीमती दिव्या वर्मा धुरंधर सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	36400/–	7	45236/–
6	श्रीमती आकांक्षा उईके सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	36400/–	7	45236/–
7	श्री हर्ष कुमार दुबे सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	28700/–	7	35639/–
8	श्री हरीश चंद्र स्टेनोग्राफर (वर्ग – 2)	तृतीय श्रेणी	83700/–	11	91552/–
9	श्रीमती वीणा मारकण्डे अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	57500/–	9	66655/–
10	श्रीमती परमेश्वरी सुधाकर सहायक ग्रेड 01	तृतीय श्रेणी	38600/–	7	50505/–
11	श्री कामता प्रसाद बघेल सहायक ग्रेड 02	तृतीय श्रेणी	33100/–	7	41307/–
12	श्री सत्येन्द्र देवांगन सहायक ग्रेड 02	तृतीय श्रेणी	29400/–	6	38246/–
13	श्री हेमलाल सोनझरी भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	24300/–	1	30351/–
14	श्री प्रियांश कुमार ध्रुव भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	18100/–	1	22476/–

टीप :– सहायक पंजीयक के पद पर मो. असलम खान परिवीक्षा पर पदस्थ है, अतः उन्हें शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान/वेतन दिया जा रहा है।

स्थापना/लेखा
कक्ष प्रभारी

जनसूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट –'ई'

जनसूचना अधिकारी का नाम/पदनाम/ अन्य विवरण :–

कमांक	नाम	पद	कार्यालय का नाम	पद
1	2	3	4	5
01.	श्री डी. पी. टावरी	संयुक्त पंजीयक	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाऍं, रायपुर संभाग रायपुर	प्रथम अपीलीय अधिकारी
02.	मोहम्मद असलम खान	सहायक पंजीयक	––,,––	जनसूचना अधिकारी
03.	श्रीमती वीणा मारकण्डे	अधीक्षक	––,,––	सहायक जनसूचना अधिकारी

जनसूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)